बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

पटना, दिनांकः– 29.01.19

संख्याः–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)03/19– 691 /मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना का कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण प्रधान सचिव के गै0स0प्रे0 सं0–42/IDC दिनांक 18–01–19 द्वारा इस योजना से जुड़े कुल 12(बारह) पदाधिकारियों/कर्मियों का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध करते हुए निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय को यह निदेशित किया गया कि इनसे कारण पृच्छा कर अपना मंतव्य प्रस्तुत करें।

विभागीय पत्रांक–450 दिनांक 21–01–19 द्वारा उक्त योजना से संबंधित कुल 08(आठ) नोडल पदाधिकारियों से दिनांक 19–01–19(शनिवार) को अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। इन पदाधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत स्वीकार योग्य पाया गया।

निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना ने उक्त गै0स0प्रे0 सं0–42/IDC दिनांक 18–01–19 के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देते हुए ज्ञापांक–234 दिनांक 22–01–19 द्वारा विभाग को प्रतिलिपि दिया।

उक्त के आलोक में गै0स0प्रे0 सं0–42/IDC दिनांक 18–01–19 में वर्णित कुल 12(बारह) पदाधिकारियों/कर्मियों के अवरूद्ध वेतन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

इसमें प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 691
3(स०)/उ०स्था०(आरोप)03/19

पटना, दिनांकः– 29.01.19

प्रतिलिपिः–श्री बलराम सिंह, संयुक्त निदेशक(तक0)/श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, संयुक्त निदेशक(तक0)/श्री बी0एन0 प्रसाद, संयुक्त निदेशक(तक0)/श्री राजन कुमार उपाध्याय, उप निदेशक(तक0)/श्री के0के0 राय, औद्योगिक अर्थशास्त्री/श्री नवल किशोर, सहायक निदेशक(तक0)/श्री महाकांत मंडल, सहायक निदेशक(प्रतिनियुक्त)/श्री रविशंकर उपाध्याय, उद्योग विस्तार पदाधिकारी(प्रतिनियुक्त)/श्री महेन्द प्रसाद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी(प्रतिनियुक्त)/श्री विनोद कुमार, उद्योग विस्तार पदाधिकारी(प्रतिनियुक्त), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री रमेश कुमार ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक/श्री विशेश्वर प्रसाद, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc